एससीटीसी सं. 846

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

विद्युत मंत्रालय

के

"पावर ग्रिड कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के विशेष संदर्भ में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण"

विषय से संबंधित

तेरहवां प्रतिवेदन

04.04.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

04.04.2022 को राज्य सभा पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

__________, 2022 / __________, 1944 (शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
समिति की संरचना (2021-22)	....	III
प्रस्तावना	....	V

प्रतिवेदन

अध्याय - एक
प्रतिवेदन

अध्याय - दो
टिप्पणियां / सिफारिशें

परिशिष्ट

एक. दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को हुई समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश।

दो. दिनांक 01.04.2022 को हुई समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22) की संरचना

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी - सभापति

सदस्य – लोक सभा

2. श्री गिरीश चन्द्र
3. श्री संतोख सिंह चौधरी
4. श्री अनिल फिरोजिया
5. श्री तापिर गाव
6. कुमारी गोड्डेति माधवी
7. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री विनसेंट एच. पाला
10. श्री छेदी पासवान
11. श्री प्रिंस राज
12. श्री ए. राजा
13. श्री उपेन्द्र सिंह रावत
14. श्रीमती संध्या राय
15. श्री अजय टम्टा
16. श्री रेबती त्रिपुरा
17. श्री कृपाल बालाजी तुमाने
18. श्री गुमान सिंह दामोर
19. श्री रतन लाल कटारिया
20. श्री जगन्नाथ सरकार

सदस्य- राज्य सभा

21. श्री अबीर रंजन बिस्वास
22. श्री शमशेर सिंह ढुलो
23. श्रीमती कान्ता कर्दम
24. श्री नारणभाई जे. राठवा
25. श्री राम शकल
26. डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी
27. श्री के. सोमप्रसाद
28. श्री प्रदीप टम्टा
29. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
30. श्री रामकुमार वर्मा

सचिवालय

1. श्री डी. आर. शेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री पी. सी. चौल्डा - निदेशक
3. श्री वी. के. शैलॉन - उप सचिव
4. सुश्री पूजा किर्थवाल - सहायक समिति अधिकारी

<u>प्रस्तावना</u>

मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का सभापति, समिति की ओर से विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'पावर ग्रिड कॉरपोरशन आफ इंडिया लिमिटेड के विशेष संदर्भ में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण' विषय संबंधी **तेरहवां** प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत करने पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति इस विषय की जांच के संबंध में समिति के लिए अपेक्षित सामग्री और जानकारी को समिति के समक्ष रखने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) के अधिकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है।

3. प्रतिवेदन को दिनांक 01.04.2022 को समिति द्वारा विचारोपरांत स्वीकार किया गया।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/ सिफारिशों को प्रतिवेदन के अध्याय दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;

_____________, 2022
, 1944(शक)

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
सभापति,
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्याय–I

प्रतिवेदन

I प्रस्तावना

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पॉवरग्रिड), भारत सरकार का शेड्यूल 'ए', 'महारत्न' सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 23 अक्तूबर, 1989 को निगमित किया गया था। पावरग्रिड एक सूचीबद्ध कंपनी है, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 51.34% है और शेष हिस्सेदारी संस्थागत निवेशकों और जनता के पास है।

2. पावरग्रिड अपने ईएचवी एसी/एचवीडीसी पारेषण/ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से विद्युत के थोक पारेषण का कार्य करता है। पावरग्रिड के ट्रांसमिशन नेटवर्क में दिनांक 30.11.2021 तक 264 सब–स्टेशनों के साथ लगभग 172,144 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) ट्रांसमिशन लाइनें (मुख्य रूप से 400 केवी एवं इससे अधिक तथा इसके साथ-साथ एचवीडीसी) और 468,292 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमवीए) की विद्युत परिवर्तन क्षमता शामिल है। अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली की पारेषण प्रणाली उपलब्धता, सर्वोत्तम प्रचालन और अनुरक्षण पद्धतियों को लागू करके, अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिताओं के बराबर लगातार 99.5% से अधिक बनाए रखी जाती है। अपनाई गई कुछ नवीनतम प्रौद्योगिकियों में ड्रोन/हेलीकॉप्टरों का उपयोग करते हुए हवाई गश्त, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मापन, आपातकालीन बहाली प्रणाली, हॉट लाइन रखरखाव, डिजिटल सब-स्टेशन आदि शामिल हैं।

II पावरग्रिड में आरक्षण नीतियों का कार्यान्वयन

3. **पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पॉवरग्रिड) की स्थापना भारत सरकार के अध्यादेश के अनुसार केंद्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से ट्रांसमिशन स्थापनाओं से संबंधित संपत्ति और कार्मिकों के हस्तांतरण को अधिसूचित करने के अनुसार की गई थी। निगम का गठन दिनांक 23.10.1989 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एनटीपीसी, एनएचपीसी, नीपको, टीएचडीसी, एनएलसी और सीईए जैसे विभिन्न घटक संगठनों से कर्मचारियों के पावरग्रिड में सामूहिक स्थानांतरण के माध्यम से किया गया था। कर्मचारियों का सामूहिक- स्थानांतरण 'जहाँ है जैसा है आधार' पर था और परिसंपत्ति और जनशक्ति का स्थानांतरण एवं आमेलन की प्रक्रिया दिनांक 1.1.1996 को पूरी की गई थी। इस प्रक्रिया में, निगम के पास पूर्ववर्ती संगठनों से कर्मचारियों के स्थानांतरण और आमेलन में कोई विकल्प नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप आरक्षण में असंतुलन उत्पन्न हुआ था। इसके अलावा, सरकार के निर्देशों के अनुसार, स्थायी आमेलन द्वारा की गई नियुक्तियों पर आरक्षण लागू नहीं होता है। अत: आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार कर्मचारियों का स्थायी आमेलन नहीं हुआ।**

4. **घटक संगठनों से स्थानांतरित कर्मचारियों की संख्या और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का समिति को सूचित किया गया विवरण इस प्रकार है:**

ग्रुप	स्थानान्तरण के आधार पर आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व।

	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ग्रुप 'ए'	2022	148	38
ग्रुप 'बी'	1245	145	33
ग्रुप 'सी'	2229	330	119
ग्रुप 'डी	460	77	53
कुल	5956	700	243

इसके बाद, पावरग्रिड द्वारा की गई सभी भर्तियों में, सरकार द्वारा आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत के संबंध में आरक्षण मानदंडों पर दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाता है।

5. इसके अलावा, पावरग्रिड ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-एससी/एसटी दिनांक 02 जुलाई, 1997 में निहित निर्देशों के अनुसार पद-आधारित आरक्षण रोस्टरों को लागू किया है। दिनांक **01.11.2021** को कर्मचारियों की कुल संख्या का मंत्रालय द्वारा लिखित उत्तर में प्रदान किया गया विवरण, जिसमें नए भर्ती हुए कर्मचारी एवं आमेलित कर्मचारी शामिल हैं उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या इस प्रकार है:

पदों की श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति का%	अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति का%
ए	4346	651	15.0%	298	6.9%
बी	2010	272	13.5%	218	10.8%
सी	2120	340	16.0%	209	9.9%
डी	77	16	20.8%	7	9.1%

यह पूछे जाने पर कि पीजीसीआईएल के निदेशक बोर्ड/उच्च स्तरीय प्रबंधन समिति में कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी/नामांकित है, यह सूचित किया गया कि वर्तमान बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित कोई सदस्य नहीं है।

III <u>आरक्षण प्रतिशत</u>

6. समिति को सूचित किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सभी स्तरों की भर्ती में लागू है। उक्त श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	सीधी भर्ती द्वारा भरा गया पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
01	ग्रुप 'ए' पदों के समकक्ष पद के लिए खुली-प्रतियोगिता के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती।	15%	7.5%

02	ग्रुप 'ए' पदों के समकक्ष पद के लिए खुली-प्रतियोगिता से भिन्न अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती।	16.66%	7.5%

समूह 'सी' और 'डी' पदों के मामले में, जिसके लिए क्षेत्रीय आधार पर भर्ती की जाती है, आरक्षण प्रतिशत की गणना की गई है। पावरग्रिड के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत निम्नलिखित है:

क्र. सं.	क्षेत्र/परियोजना का नाम	अनुसूचित जाति %	अनुसूचित जनजाति %
1.	कॉरपोरेट केंद्र, हरियाणा	19	---
2.	उत्तरी क्षेत्र -1: फरीदाबाद, उत्तरप्रदेश का हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा, उत्तराखंड का हिस्सा, राजस्थान	20	3
3.	उत्तरी क्षेत्र- II: संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा का हिस्सा	22	2
4.	उत्तरी क्षेत्र- III: उत्तरप्रदेश का हिस्सा, उत्तराखंड का हिस्सा, एमपी का हिस्सा	19	5
5.	पूर्वी क्षेत्र-I: बिहार और झारखंड	15	7
6.	पूर्वी क्षेत्र-II : पश्चिम बंगाल और सिक्किम	23	5
7.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र: असम, अरुणाचल, त्रिपुरा मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड	6	27
8.	पश्चिमी क्षेत्र-I: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गोवा	10	13
9.	पश्चिमी क्षेत्र-II: गुजरात, मध्यप्रदेश, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश	18	11
10.	दक्षिणी क्षेत्र-I: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना	16	7
11.	दक्षिणी क्षेत्र-II: तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी।	16	3
12.	ओडिशा परियोजना-ओडिशा	16	22

समान्यतः प्रवेशन (इंडक्शन) का स्तर ग्रुप-"ए" तथा ग्रुप- "सी" के पदों का होता है। ग्रुप-"डी" के पद, यथा बहु-कार्य वाले जैसे कर्मचारी, ड्राइवर, चौकीदार, सुरक्षा गार्ड आदि पद आकस्मिक प्रकृति के होते

हैं और इन कार्यों को धीरे-धीरे आउटसोर्स किया जा रहा है और इसीलिए कोई नियमित भर्ती नहीं की जाती। समय की निर्धारित अवधि बीत जाने पर ग्रुप-"डी" के कर्मचारियों की पदोन्नति हो गई और वे ग्रुप- "सी" के पदों पर आ गए। मंत्रालय ने अपने 'साक्ष्य के बाद' के उत्तर में कहा है कि पावरग्रिड में ग्रुप-"बी" के पदों में एस2-एस4/एसएसजी डब्ल्यु8-डब्ल्यु11/डब्ल्युएसजी स्तर के पद होते हैं। यद्यपि इस वर्ग में सीधी भर्ती नहीं है, किन्तु कर्मचारी अपनी पात्रता की अवधि पूरी करके तथा उपयुक्तता/परीक्षा के बाद सी/डी वर्ग से पदोन्नत हो जाते हैं और ग्रुप-"बी" में प्रवेश कर जाते हैं।

IV आरक्षण नियमों का कार्यान्वयन

7. यह सूचित किया गया कि पावरग्रिड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रदान किए गए आरक्षण, रियायतों और छूट पर सरकार के निर्देशों का सही मायने में पालन करता है। इस दिशा में, भारत सरकार की आरक्षण नीति को कॉरपोरेट केंद्र के साथ-साथ पावरग्रिड के विभिन्न क्षेत्रों में लागू करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) आरक्षण प्रकोष्ठों का गठन।

(ii) पद-आधारित, कार्य (डिस्सिप्लिन) और ग्रेड-वार भर्ती आरक्षण रोस्टरों का रखरखाव।

(iii) आंतरिक रूप से आरक्षण रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण।

(iv) संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-से संपर्क अधिकारी की उपलब्धता।

(v) आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अपनी शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कराने के लिए आरक्षण प्रकोष्ठ में शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता।

(vi) सरकार/विद्युत मंत्रालय को आवधिक प्रतिवेदन/विवरणी प्रस्तुत करना।

(vii) नियमित भर्ती के साथ-साथ समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से आरक्षित श्रेणियों के लिए बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरना।

(viii) उम्मीदवारों से निर्धारित प्रोफार्मा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है जो सेवा में शामिल होने के तुरंत बाद सत्यापन के अध्यधीन होते हैं।

V आरक्षित श्रेणी के लिए छूट और रियायत

8. मंत्रालय ने लिखित प्रश्नावली के उत्तर में आरक्षित वर्ग को प्रदान की जाने वाली छूटों और रियायतों को सूचीबद्ध किया जो निम्नानुसार हैं:

सीधी भर्ती के मामले में:

(i) भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट है।

(ii) अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकलांग उम्मीदवारों के लिए संचयी आयु सीमा में 15 वर्ष (10+5) छूट है।

(iii) भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अलग से साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं।

(iv) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मानक में छूट प्रदान की जाती है अर्थात् आरक्षित रिक्तियों के लिए लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में अर्हक अंक 30% हैं जबकि अनारक्षित रिक्तियों के लिए 40% हैं।

(v) अनुभव के आधार पर भर्ती में आरक्षण के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में, अनुभव में अधिकतम एक वर्ष की छूट दी जाती है यदि निर्धारित अनुभव 3-5 वर्ष होता है और निर्धारित अनुभव में अधिकतम दो वर्ष की छूट दी जाती है यदि निर्धारित अनुभव 6-10 वर्ष है।

(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है।

(vii) साक्षात्कार के साथ-साथ लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाता है।

(viii) शैक्षिक योग्यता में योग्यता अंक उत्तीर्ण अंक होते हैं। जबकि सामान्य वर्ग के लिए यह 60%/70% होते हैं।

पदोन्नति के मामले में:

9. इसके अलावा, पावरग्रिड नीति के अनुसार पदोन्नति में निम्नलिखित रियायतें और छूट प्रदान की जाती हैं:-

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को ई-8 स्तर तक पदोन्नति के लिए विचार करते समय अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाते हैं।

(ख) लिखित परीक्षा में अंकों में छूट, जहां भी लागू हो।

(ग) साक्षात्कार में अंकों में छूट।

उच्च ग्रेड में पदोन्नति	स्तर	कुल अंक	अर्हता अंक	दिए गए अतिरिक्त अंक
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक से महाप्रबंधक	ई7 से ई 8	80	60	4
मुख्य प्रबंधक से उप महाप्रबंधक	ई 6 से ई 7	80	60	4
प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक	ई 5 से ई 6	60	45	3
उप प्रबंधक से प्रबंधक	ई 4 से ई5	60	45	2
सहायक प्रबंधक से उप प्रबंधक	ई 3 से ई 4	45	32	2
अभियंता/अधिकारी से सहायक प्रबन्धक	ई 2 से ई 3	45	32	2

श्रेणी	**अर्हता अंकों में रियायतें/छूट**
वर्कमैन	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अर्हता अंक 40% है जबकि अन्य के लिए 50% है।
पर्यवेक्षक	
समूह 'ए' पदों के सबसे निचले पायदान पर कार्यपालक अर्थात् ई2 (इंजीनियरिंग/अधिकारी)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अरर्हता अंक अन्य के लिए 50% के बजाय 40% है।

VI <u>सेवाओं में आरक्षण</u>

10. समिति को सूचित किया गया कि पावरग्रिड द्वारा की गई सभी भर्तियों में, सरकारी आरक्षण के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है। यह भी कहा गया कि पावरग्रिड में सभी पदों की भर्ती के लिए चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि जुड़ा हुआ है। पदोन्नति के मामले में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए समूह 'ए' पदों के निम्नतम स्तर तक निर्धारित प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। दिनांक 30.11.2021 को विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पदों की श्रेणी	कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	अनुसूचित जाति का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	अनुसूचित जाति की कमी	अनुसूचित जनजाति की कमी
1	ए	4457	666	316	14.94	7.08	शून्य	
2	बी	1899	257	200	13.53	10.53		
3	सी	2124	340	209	16.00	9.83		
4	डी	77	16	7	20.77	9.09		

मंत्रालय ने अपने 'साक्ष्य के बाद' के उत्तर में 01.12.2021 के अनुसार क्षेत्रवार और ग्रेड वार जनशक्ति का विवरण भी प्रदान किया जो निम्नानुसार दिया गया है:

क्षेत्र वार

क्षेत्र	सामान्य	अ.पि.वर्ग	अनु. जाति	अ.जन.जाति	योग
कारपोरेट केंद्र	833	258	165	35	**1291**
उ.क्षे.-I	465	268	167	78	**978**
उ.क्षे.-II	291	114	114	15	**534**
उ.क्षे.-III	346	202	108	17	**673**
द.क्षे.-I	222	190	86	25	**523**
द.क्षे.-II	338	306	137	33	**814**
पू.क्षे.-I	245	183	62	39	**529**

पू.क्षे.-II	260	100	87	25	**472**
प.क्षे.-I	289	320	124	90	**823**
प.क्षे.-II	328	254	95	98	**775**
उ.पू.क्षेत्र	349	153	83	220	**805**
ओड़िसा परियोजनाएं	137	80	50	56	**323**
कुल योग	**4103**	**2428**	**1278**	**731**	**8540**

ग्रेड वार

01.12.2021 को यथास्थिति ग्रेडवार, कुल कर्मचारी का श्रेणी वार ब्रेक अप इस प्रकार है:

स्तर	सामान्य	अ.पि.वर्ग	अनु.जाति	अ.जन.जाति	योग
एईटी	30	29	15	12	**86**
ईटी	30	27	13	2	**72**
ई2	324	178	115	78	**695**
ई 3	231	118	56	22	**427**
ई 4	291	166	79	41	**577**
ई 5	269	154	108	41	**572**
ई 6	450	222	141	63	**876**
ई 7	345	149	92	40	**626**
ई 8	376	43	45	17	**481**
ई 9	34	0	2	0	**36**
एसटी	12	18	8	1	**39**
एस1	139	246	77	29	**491**
एस 2	153	235	75	57	**520**
एस 3	44	24	7	12	**87**

एस4	285	212	101	95	**693**
एस एस जी	233	41	55	14	**343**
डब्ल्यू0	1	1	0	3	**5**
डब्ल्यू 1	27	21	16	2	**66**
डब्ल्यू 2	4	0	0	2	**6**
डब्ल्यू 3	27	60	22	12	**121**
डब्ल्यू 4	61	66	30	20	**177**
डब्ल्यू 5	357	287	137	106	**887**
डब्ल्यू 6	165	99	61	37	**362**
डब्ल्यू 7	31	6	5	4	**46**
डब्ल्यू 8	42	3	2	6	**53**
डब्ल्यू 9	65	13	7	3	**88**
डब्ल्यू 10	12	5	3	5	**25**
डब्ल्यू 11	34	1	3	3	**41**
डब्ल्यू एसजी	31	4	3	4	**42**
कुल योग	**4103**	**2428**	**1278**	**731**	**8540**

11. समिति ने उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की वरिष्ठता तय करने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लागू की गई विधि संबंधी विवरण के बारे में पूछा, जिनका मई, 2018 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के तहत योग्यता के आधार पर चयन किया गया है। इसके उत्तर में यह सूचित किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पर्यवेक्षी से कार्यकारी संवर्ग अर्थात् एस4 से ई2 ग्रेड में पदोन्नति के लिए आरक्षण लागू है। उक्त पदोन्नति दो मानक तिथियों अर्थात् 1 जनवरी / 1 अप्रैल से प्रभावी होती है। पावरग्रिड में उम्मीदवारों की वरिष्ठता की गणना उक्त मानक तिथियों के परिप्रेक्ष्य में की जाती है, अर्थात् क्रमशः 1 जनवरी और 1 अप्रैल, जो कि उस ग्रेड में उनके प्रवेश की तिथि होती है। तदनुसार, उम्मीदवारों की वरिष्ठता की गणना ग्रेड में प्रवेश की तिथि से की जाती है, चाहे उम्मीदवारों की श्रेणी कुछ भी हो या अनारक्षित रिक्ति या स्वयं की योग्यता या आरक्षित रिक्ति के अनुसार उनका चयन हुआ हो।

सात. <u>बैकलॉग</u>

12. लिखित उत्तर में मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में बैकलॉग रिक्तियों का विवरण (01.12.2021) की स्थिति के अनुसार अग्रेषित किया

वर्ष	समूह	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
2017	ए	0	0
	सी	0	0

2018	ए	0	0
	सी	1	0
2019	ए	1	0
	सी	1	0
2020	ए	2	0
	सी	1	0
2021	ए	2	2
	सी	5	9

13. यह सूचित किया गया कि कार्यकारी प्रशिक्षुओं के मामले में अगले वर्षों में नई रिक्तियों के साथ-साथ रिक्त/बैकलॉग रिक्तियों को फिर से विज्ञापित किया जाता है। रिक्त पदों को भरने के लिए, जब भी आवश्यक हो, किसी भी रिक्त / बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान भी चलाया जाता है।

VIII विशेष भर्ती अभियान

14. मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तरों में पिछले पांच वर्षों में चलाए गए विशेष भर्ती अभियान के संबंध में सूचना प्रदान की जो निम्नवत् है:-

पिछले पाँच वर्षों में चलाए गए विशेष भर्ती अभियान				
पद का नाम	वर्ग	वर्ष	पदों की संख्या	श्रेणी
उप प्रबंधक (वित्त)	ए	2017	3	अ.पि.व.(एनसीएल)-01, अ.जा.-02
सतर्कता अधिकारी	ए	2017	1	अ.जा.-01
अधिकारी (कंपनी सचिव)	ए	2017	1	अ.पि.व.(एनसीएल)-01
उप प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल)	ए	2017	2	अ.पि.व.(एनसीएल)-02
वरिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल)	ए	2017	2	अ.पि.व.(एनसीएल)-01, अ.जा.-01
सहायक अधिकारी -लेखा	ए	2017	5	अ.जा.-03, अ.ज.जा.-02
कनिष्ठ सहायक	सी	2018	2	अ.जा.-01, अ.ज.जा.-01

IX संपर्क अधिकारी

15. समिति ने पिछले 5 वर्षों के दौरान पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में नियुक्त संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति और यह भी कि वे किस श्रेणी से संबंधित हैं, के संबंध में पूछताछ की। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण में उनकी भूमिका के बारे में बताने के लिए भी कहा गया। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर निम्नवत् है:-

वर्ष	नाम	संपर्क अधिकारी की श्रेणी
2017	श्री एस मजूमदार	अनुसूचित जाति
08.05.2018 तक	श्री एस मजूमदार	अनुसूचित जाति
09.05.2018 से आगे	श्रीमती नीला दास	अनुसूचित जाति
2019	श्रीमती नीला दास	अनुसूचित जाति
2020	श्रीमती नीला दास	अनुसूचित जाति
2021	श्रीमती नीला दास	अनुसूचित जाति

16. संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी का कर्मचारी, यदि व्यथित महसूस करता है, तो वह सीधे अपने संपर्क अधिकारी से संपर्क कर सकता है जो इस अनुक्रम में उसकी शिकायत दर्ज करता है। संपर्क अधिकारी धैर्यपूर्वक सुनवाई करता है और उसकी शिकायत को दूर करने के लिए उचित कदम उठाता है। इसके साथ ही, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की समस्याओं/शिकायतों पर चर्चा करने के लिए संपर्क अधिकारी के साथ नियमित बैठकें/साक्षात्कार किए जा रहे हैं और ये बैठकें अनौपचारिक होती हैं।

17. समिति ने आगे पूछा कि क्या संपर्क अधिकारियों को मौजूदा आरक्षण नीति के बारे में पर्याप्त जानकारी रखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। मंत्रालय ने अपने उत्तरों में यह सूचित किया कि संपर्क अधिकारियों को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निष्पादन में सुविधा प्रदान करने के लिए, जब कभी डीओपीटी और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) संपर्क अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का संचालन करते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जाता है। पीजीसीआईएल में, संपर्क अधिकारी के साथ-साथ इस विषय से संबंध रखने वाले अन्य कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने के लिए वर्तमान आरक्षण नीति, नियमों और दिशा-निर्देशों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं। इस संबंध में आयोजित नवीनतम कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है:

कार्यक्रम का नाम	दिनांक
आरक्षण नीति, दिशा-निर्देशों और नियमों के संबंध में क्षमता निर्माण कार्यक्रम	दिनांक 30.09.2021 (पूर्वाह्न 10:00 बजे - अपराह्न 05:30)

यह भी सूचित किया गया था कि वर्तमान संपर्क अधिकारी सामान्य श्रेणी के हैं। पहले के संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के थे।

X <u>रोस्टर</u>

18. समिति ने यह जानना चाहा कि क्या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में रोस्टरों का रखरखाव डीओपीटी द्वारा दिए गए प्रारूप के अनुसार किया जाता है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में यह सूचित किया कि आरक्षण रोस्टरों को डीओपीटी द्वारा निर्धारित दिनांक 17.11.2011 के का.ज्ञा. संख्या 36011/1/2011-स्था. (आरक्षित) के अनुसार निर्धारित रूप में रखा जाता है और वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है। अद्यतन पूरा होने पर, विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है और एक टैली तैयार की जाती है। फिर रोस्टर का निरीक्षण, संपर्क-अधिकारी द्वारा किया जाता है।

19. यह भी सूचित किया गया कि ग्रुप ए के समकक्ष पदों, अर्थात् कार्यकारी पदों के लिए रोस्टर कॉर्पोरेट केंद्र में रखा जाता है। ग्रुप बी, सी और डी समकक्ष पदों के लिए रोस्टर, यानि गैर-कार्यकारी पदों के लिए, आम तौर पर संबंधित क्षेत्रों में रखे जाते हैं जहां भर्ती होती है।

XI शिकायतें/परिवाद

20. समिति ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों/परिवादों के निवारण के लिए मौजूदा तंत्र के बारे में पूछताछ की। समिति ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि निवारण प्रणाली के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और कितनी शिकायतों का निवारण किया गया है।

21. मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया कि संपर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में एक आरक्षण प्रकोष्ठ है। आरक्षण प्रकोष्ठों के पास शिकायत रजिस्टर उपलब्ध हैं। कोई भी पीड़ित कर्मचारी उस में अपनी शिकायत दर्ज कराता है। संपर्क अधिकारी शिकायत की जांच करता है और यथासंभव शीघ्र प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर उसका निपटारा किया जाता है। इस संबंध में, कर्मचारियों का नाम, शिकायत की तिथि, शिकायत के समाधान में लगा समय और इसके अंतिम परिणाम को दर्शाने वाला सारणीबद्ध विवरण नीचे दिया गया है।

कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती)	शिकायत की तिथि	शिकायत के समाधान में लगा समय	शिकायत की प्रकृति	अंतिम परिणाम
रमेश रावत	11.09.2019	1 वर्ष से अधिक	दुर्व्यवहार और असंसदीय भाषा का प्रयोग। अत्याचार और उत्पीड़न।	जिस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की गई थी, उसे बाद में क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था।
शिव राम	05.10.2019	06 माह	प्रताड़ना को लेकर सतर्कता विभाग के वरिष्ठ	जिस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की गई थी, उसे बाद में क्षेत्र के बाहर दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया

			अधिकारी पर आरोप लगाया गया था।	था।
अश्विन राठवा	02.02.2020	1.5 वर्ष	कर्मचारी ने अपने स्थानांतरण को लेकर शिकायत की थी।	प्रबंधन ने कर्मचारी की बात संपर्क अधिकारी की उपस्थिति में सुनी और उसके अनुरोध पर विचार किया गया और उसे पदोन्नति के साथ पोस्टिंग के अपने पसंदीदा विकल्प पर स्थानांतरित कर दिया गया।
बी. टी जाधव	28.01.2020	1.5 वर्ष	कर्मचारी ने अपने तबादले को लेकर शिकायत की थी।	प्रबंधन द्वारा कर्मचारी को संपर्क अधिकारी की उपस्थिति में सुना गया और उसके अनुरोध पर विचार किया गया और उसे पदोन्नति के साथ पोस्टिंग के अपने पसंदीदा विकल्प पर स्थानांतरित कर दिया गया।
नीलेश वसावा	30.06.2020	03 महीने	कर्मचारी ने परिवीक्षा की गैर-मंजूरी की शिकायत की थी।	संबंधित सत्यापन अधिकारियों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद उनकी परिवीक्षा को मंजूरी दे दी गई थी।
बलवंत सिंह काजले	24.07.2020	02 माह	कर्मचारी ने अपने स्थानांतरण को लेकर शिकायत की थी।	मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया।
किरण सिंह	17.03.2020	01 माह	कर्मचारी ने प्राथमिकता के आधार पर क्वार्टर आवंटित करने पर जोर दिया।	कर्मचारी की शिकायत पर धैर्यपूर्वक सुनवाई की गई और बाद में, शिकायतकर्ता ने अपने नए खरीदे गए घर में शिफ्ट करना पसंद किया।
जयश्री पुजारी	अगस्त 2021	02 माह	कर्मचारी ने उसकी पदोन्नति न होने की शिकायत की।	तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट कर दी गई और उपयुक्त उत्तर के साथ शिकायत का निपटारा किया गया।

XII <u>प्रशिक्षण</u>

22. समिति को पिछले पांच वर्षों के दौरान अनारक्षित कर्मचारियों की तुलना में विदेश में प्रशिक्षण हेतु भेजे गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में सूचित किया गया।

वर्ष	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षित कर्मचारियों की कुल संख्या
2017	50	6
2018	108	11
2019	70	10
2020	8	0
2021	शून्य	शून्य

यह भी सूचित किया गया कि विदेशी प्रशिक्षण आमतौर पर उन कर्मचारियों को निर्माण स्थलों/संयंत्रों पर दिया जाता है जो चल रही परियोजना/परामर्शी कार्यों आदि से सीधे जुड़े हुए हैं।

XIII अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ

23. समिति को यह सूचित किया गया कि प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित एससी/एसटी कर्मचारी संघों को मान्यता दी गई है जो पावरग्रिड में एससी/एसटी कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के रूप में दावा करते हैं:

एक. ऑल इंडिया पावरग्रिड एससी/एसटी एम्पलायज वेलफेयर एसोसिएशन।
दो. पावरग्रिड एससी/एसटी/ओबीसी माइनॉरिटीज एम्पलायज एसोसिएशन।
तीन. पावरग्रिड एससी/एसटी/बैकवर्ड माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन।

इसके अलावा, पावरग्रिड प्रत्येक एसोसिएशन से 04 प्रतिनिधियों को अपनी आवधिक बैठकों और विविध आयोग/संसदीय समितियों के साथ बैठक के लिए आमंत्रित करता है। पावरग्रिड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के मुद्दे के संबंध में माननीय सभापति महोदय ने निम्नवत् बताया:-

''कि हम उन्हें एकल एसोसिएशन बन जाने के लिए प्रेरित करें''

24. अपने साक्ष्योपरांत उत्तरों में मंत्रालय ने यह बताया कि नवंबर, 2019 में ईटानगर में माननीय समिति के परामर्श के अनुसार, पावर ग्रिड एसोसिएशन के एकल एसोसिएशन में एकीकरण के लिए तीन एसोसिएशनों से नियमित रूप से अनुरोध करता रहा है। तथापि, संसदीय समिति द्वारा 21.12.2021 को समीक्षा के बाद, पावरग्रिड के प्रबंधन ने एकीकरण के लिए उनकी इच्छा के विषय में 4.1.2022 को एक बार फिर से पूछा है। उनकी सहमति मिलने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

25. आगे यह सूचित किया गया कि जहां संघ के कार्यालय पंजीकृत है वहां संघ को कार्यालय स्थान और आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान की गई है । यह भी बताया गया कि प्रबंधन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बैठकें करता है और बैठक के बाद, बैठक के कार्यवृत्त संघों को परिचालित किए जाते हैं।

XIV <u>संविदात्मक नियुक्ति</u>

26. समिति ने अनुबंध के आधार पर व्यक्ति/कर्मचारी की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देशों के विवरण सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अनुबंध/आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या के बारे में पूछा।

27. मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि पावरग्रिड परियोजना विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता/परामर्श कार्यों के लिए फील्ड इंजीनियर/फील्ड पर्यवेक्षक के रूप में संविदा के आधार पर कर्मियों की भर्ती करता है और ऐसे कार्यों के पूरा होने पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जब संविदात्मक कार्य 45 दिन या उससे अधिक का होता है, तो पावरग्रिड सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत लागू करता है। विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है जिसमें सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों संबंधी ब्योरे का संकेत दिया जाता है। पिछले 5 वर्षों में निश्चित कार्यकाल के आधार पर भर्ती किए गए कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	निश्चित अवधि के आधार पर कर्मचारियों की संख्या (अनुबंध पर)
2020-21	492
2019-20	593
2018-19	631
2017-18	565
2016-17	459

28. यह भी बताया गया था कि बागवानी, साफ-सफाई, स्वच्छता, सुरक्षा, निवारक रखरखाव आदि जैसे गैर-मुख्य कार्यों को आउटसोर्स किया जाता है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, पावरग्रिड समय-समय पर जारी सभी सरकारी निर्देशों/अधिसूचनाओं को लागू करता है और

स्थानीय आबादी से कार्मिको की तैनाती जैसे नौकरियों की आउटसोर्सिंग करते समय उचित देखभाल की जाती है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्ति शामिल होते हैं।

XV. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

29. समिति ने यह पूछा कि क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सीएसआर निधियों का उपयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए किया जाता है। कृपया विगत पांच वर्षों के दौरान इस पर किए गए व्यय का वर्ष-वार विवरण दें। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया कि सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) पर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पावरग्रिड निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर व्यय करता है:

एक. महिला सशक्तीकरण
दो. शिक्षा
तीन. ग्रामीण विकास
चार. कौशल विकास
पाँच. पर्यावरण

सीएसआर के मुद्दे पर, समिति के माननीय सदस्य ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार बताया:

"कुछ विशिष्ट शीर्ष होने चाहिए जिसके तहत हम कम से कम 25 प्रतिशत को विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सशक्तिकरण और कल्याण के लिए भेजे जाने का अनुरोध करते हैं।"

पावरग्रिड ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कई सीएसआर परियोजनाओं को लागू किया है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महत्वपूर्ण आबादी शामिल है। इस तरह से, किसी भी श्रेणी के लिए कोई विशिष्ट राशि निर्धारित नहीं है और पावरग्रिड के पास सीएसआर के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक अलग योजना/बजट नहीं है। पिछले 05 वर्षों के दौरान किया गया कुल सीएसआर व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	कुल सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)
2016-17	147.27
2017-18	157.99

2018-19	195.52
2019-20	346.21
2020-21	240.48

अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

1. समिति यह जानकर हैरान है कि 'महारत्न' सीपीएसई होने के बावजूद, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी नहीं है। देश के शीर्ष सीपीएसई में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधित्व न होना गंभीर चिंता का विषय है। समिति इसके कारणों से अवगत होना चाहती है। समिति का विचार है कि निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए पावर ग्रिड में अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति के लिए संबंधित अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाए। साथ ही, यदि आवश्यक हो, ऐसे पदों के लिए पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छूट/रियायत प्रदान की जाए। समिति इस मामले में अपनी नाराजगी व्यक्त करती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को पावर ग्रिड में उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है, जिससे उनके शीर्ष नीतिगत निर्णय लेने की संभावना समाप्त हो जाती है। समिति का दृढ़ मत है कि निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारियों को शामिल करने से उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संभावनाएं बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के लिए बनाई जा रही नीतियों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

2. समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि ग्रुप बी श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों का अपेक्षित आरक्षण प्रतिशत प्राप्त नहीं किया गया है। यह भी बताया गया है कि पावर ग्रिड में भर्ती ग्रुप "ए" और ग्रुप "सी" पदों पर होती है, जिसका अर्थ है कि ग्रुप बी पद पदोन्नति पद (प्रमोशनल पोस्ट) हैं। समिति विभिन्न छूट देने के बावजूद भी समूह बी पदों में कम प्रतिशत होने के कारणों से अवगत होना चाहती है। समिति यह सिफारिश करती है कि पावर ग्रिड द्वारा प्रत्येक श्रेणी के पदों में अनुसूचित जाति आरक्षण के अपेक्षित प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पुरजोर और पूर्ण प्रयास किए जाएं। समिति यह निदेश देती है कि इस दिशा में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक कदम उठाए जाएं।

3. समिति नोट करती है कि कुल 18 (7 एससी और 11 एसटी) रिक्तियां खाली पड़ी हैं। इनमें से 4 रिक्तियां ग्रुप ए की और 14 रिक्तियां ग्रुप सी की हैं। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि ऐसी बैकलॉग रिक्तियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर भरा जाए और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में गंभीर प्रयास किए जाएं। यह भी नोट किया गया है कि पिछला विशेष भर्ती अभियान वर्ष 2018 में चलाया गया था। समिति सिफारिश करती है कि इन बैकलॉग रिक्तियों को जल्द-से-जल्द भरने के लिए फिर से विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए।

4. समिति यह नोट करके हैरान है कि अनुभवी एवं निष्ठावान जनजातीय श्रेणी के अभ्यर्थी के उपलब्ध रहने के बावजूद पावर ग्रिड में अनारक्षित श्रेणी से संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। समिति इस बात पर जोर देती है कि संपर्क अधिकारी संगठन के प्रबंधन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बीच की कड़ी है जिसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए डीओपीटी द्वारा निर्धारित प्रावधानों को अक्षरशः लागू किया जा रहा है। आरक्षण नीति के संबंध में किसी भी मुद्दे पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के संपर्क अधिकारी के साथ प्रभावी संपर्क रखने के लिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि संपर्क अधिकारी आरक्षित वर्ग से नियुक्त किया जाए। अतः, समिति सिफारिश करती है कि या तो मौजूदा जनजातीय अधिकारी या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के उपयुक्त रैंक के जिस अधिकारी को आरक्षण नीतियों का अच्छा ज्ञान है, उसे संबंधित इकाइयों के संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए और संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में सहायक स्टाफ प्रदान किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि चूंकि संपर्क अधिकारी की नियुक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित आदेशों और अनुदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की जाती है, इसलिए कुशल कार्यकरण के लिए उसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/दिशानिर्देशों का या तो अनुभव हो या उसे उचित रूप से इनमें प्रशिक्षित किया जाए और अन्य भारी आधिकारिक जिम्मेदारियों का आवश्यकता से अधिक बोझ उन पर नहीं डाला जाए।

5. समिति नोट करती है कि ग्रुप ए के समकक्ष पदों, अर्थात् कार्यकारी पदों के लिए रोस्टर कॉरपोरेट सेंटर में बनाए जाते हैं जबकि ग्रुप बी, सी और डी समकक्ष पदों के लिए रोस्टर, अर्थात् गैर-कार्यकारी पदों को आमतौर पर संबंधित क्षेत्रों में रखा जाता है। यह भी बताया गया है कि रोस्टरों को रखरखाव डीओपीटी के आदेशों के अनुसार किया जाता है, उन्हें वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है और संपर्क अधिकारी द्वारा उनका निरीक्षण किया जाता है। तथापि, समिति यह दोहराना चाहती है कि रोस्टर अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने और उनके हितों की उपयुक्त रूप से रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः, समिति आग्रह करती है कि रोस्टरों को रखने का काम उन अधिकारियों को सौंपा जाए जो भर्ती/आरक्षण नियमों से भली-भांति परिचित हैं और उन्हें इस उद्देश्य के लिए डीओपीटी द्वारा निर्धारित अनुदेशों के अनुसार ही बनाए रखते हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा देखी गई किसी भी विसंगति को तुरंत इंगित किया जाए और समय पर ठीक किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि रोस्टरों के रखरखाव के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ संपर्क अधिकारियों को इसके उचित रखरखाव और कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि रोस्टरों को अद्यतन किए जाने और उनका निरीक्षण किए जाने के बाद, संगठन की वेबसाइट पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की जानकारी के लिए अपलोड किया जाए और इससे संबंधित किसी भी अभ्यावेदन को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।

6. समिति को बताया गया कि पावर ग्रिड में शिकायत पंजिका रखी जाती है और पीड़ित कर्मचारी उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समिति नोट करती है कि कर्मचारी द्वारा दर्ज की गई कुछ शिकायतों को हल करने में 1.5 वर्ष से अधिक का समय लगा। इस संबंध में, समिति यह सिफारिश करती है कि शिकायत निवारण तंत्र को त्रुटिहीन बनाया जाए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पीड़ित कर्मचारियों को राहत देने के लिए शिकायतों का निपटान अधिकतम छह महीने की अवधि में किया जाए।

7. समिति महसूस करती है कि संविदात्मक नियुक्तियों के गैर–मुख्य क्षेत्रों में, संविदात्मक नियुक्तियों के दौरान संविदात्मक और अन्य लाभों को पूरी तरह नहीं दिया जाता है। अतः समिति सिफारिश करती है कि संविदा पर नियुक्त सभी व्यक्तियों का भुगतान समय पर और सीधे उनके बैंक खातों में किया जाए। समिति पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों सहित संविदा पर नियुक्त लोगों को नियमित नियुक्तियों से जुड़ी पर्याप्त वित्तीय और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करके उनके प्रति अनुकंपा दृष्टिकोण अपनाए जाने का भी आग्रह करती है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में संविदात्मक नियुक्तियों पर भरे जाने वाले सभी पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

8. समिति ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि वर्तमान में पावर ग्रिड में तीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ हैं, नामतः ऑल इंडिया पावरग्रिड एससी/एसटी एम्पलायज वेलफेयर एसोसिएशन, पावरग्रिड एससी/एसटी/ओबीसी माइनॉरिटीज एम्पलायज एसोसिएशन और पावरग्रिड एससी/एसटी/बैकवर्ड माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन। समिति सिफारिश करती है कि पावर ग्रिड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मुद्दों और शिकायतों को उठाने में एसोसिएशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तीनों एसोसिएशनों का शीघ्रातिशीघ्र आपस में विलय करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएं। यह सिफारिश की जाती है कि मंत्रालय को दिसंबर में 21.12.2022 को हुई बैठक के दौरान समिति द्वारा बताए गए निर्देशानुसार इन सभी एसोसिएशनों को एकजुट करने के लिए लोकतांत्रिक तंत्र बनाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की उपयुक्त रूप से रक्षा की जा सके।

9. समिति कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए कार्य की सराहना करती है, लेकिन साथ ही, समिति का दृढ़ मत है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट या अलग योजना तैयार करे। समिति पुरजोर रूप से महसूस करती है कि इस प्रकार की विशेष योजना भूख, गरीबी और कुपोषण को दूर करने, निवारक स्वास्थ्य परिचर्या, स्वच्छता सहित स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने, कमजोर श्रेणियों के उत्थान और विकास के लिए विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसाय कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देने और स्लम क्षेत्र के विकास के लिए, जिसमें स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी शामिल है, कंपनी अधिनियम, 2013, अनुसूची VII (i), (ii) और (xi) में उल्लिखित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रयोजन के प्रतिकूल

नहीं होगी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इस संबंध में की गई प्रगति से समिति को अवगत कराया जाए।

डॉ किरिट पी. सोलंकी
सभापति,
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जनजातियों संबंधी समिति

नई दिल्ली
________, 2022

, 1944 (शक)

CONFIDENTIAL

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (2021-2022) (SEVENTEENTH LOK SABHA)

ELEVENTH SITTING (21.12.2021)

MINUTES

The Committee sat from 1500 hrs. to 1630 hrs. in Main Committee Room, Ground Floor, Parliament House Annexe, New Delhi-110001

PRESENT

Shri Kirit Premjibhai Solanki - Chairperson

MEMBERS

LOK SABHA

2. Shri Girish Chandra
3. Shri Anil Firojiya
4. Shri Tapir Gao
5. Ms. Goddeti Madhavi
6 Smt. Pratima Mondal
7. Shri Prince Raj
8. Shri Andimuthu Raja
9. Smt. Sandhya Ray
10. Shri Guman Singh Damor
11. Shri Rattan Lal Kataria
12. Shri Jagannath Sarkar

RAJYA SABHA

1. Shri Abir Ranjan Biswas
2. Shri Shamsher Singh Dullo
3. Shri Naranbhai J. Rathwa
4. Dr. Sumer Singh Solanki
5. Shri K. Somaprasad
6 Shri Kamakhya Prasad Tasa
7. Shri Ramkumar Verma

SECRETARIAT

1 Shri D.R. Shekhar, Joint Secretary
2 SHri P.C. Choulda, Director
3 Shri. V. K. Shailon, Deputy Secretary

LIST OF WITNESSES

Representatives of the Ministry of Power

1.	Shri Alok Kumar	- Secretary
2.	Shri Ashish Upadhyaya	- AS &FA

At the outset, the Chairperson welcomed the Members of the Committee. Thereafter, representatives from three SC/ST Employee Welfare Associations of Power Grid Corporation of India were called in to present their grievances before the Committee. The Committee then discussed with the representatives on certain issues relating to safeguard of SC/ST employees. Hon'ble Chairperson urged all the associations to merge at the earliest to make

the association more effective and furnish the resolve to do the same in writing before the Committee.

2. Thereafter, the representatives of the Ministry of Power and Power Grid Corporation of India were called in to render evidence before the Committee. A power point presentation was made by the representative of the Power Grid Corporation of India on the issue of status of reservation in Power Grid Corporation of India after obtaining concurrence for the same from the Hon'ble Chairperson of the Committee.

3. During the power point presentation, Power Grid Corporation of India made the following submissions:

a) For Group A posts, the recruitment is on all-India basis by means of an open competition with reservation of 15 per cent for SCs and 7.5 per cent for STs.
b) Various relaxations and concessions as per the government guidelines are given for recruitment to SC/ST candidates.
c) Even for promotions, qualifying marks are at a lesser level and extra marks are awarded to the reserved category.
d) All the recruitment and promotional rosters, grade-wise, post-wise are maintained.
e) Liaison officers are nominated who inspect the rosters and address the grievances. Reservation cells are available.
f) There is complaints register for the SCs and STs, if they wish to make any complaint.
g) Meetings are held with the associations.
h) SC/ST representative is included in all the Departmental Promotional Committees and Selection Boards.
i) Reservations are also provided in allotment of residential quarters.

4. Thereafter, Members of the Committee raised numerous queries with respect to issues of reservation of SCs and STs in Power Grid Corporation of India. Some of the pertinent points are enlisted as under:

a) Number of cases pending for the SCs and STs with regard to promotion and disciplinary actions.
b) Representation of SC and ST at the level of DGM, GM, Chief Manager, Manager and ST.
c) Status of contractual workers employed for more than 45 days.
d) Reasons for lesser recruitment in Group A & B.
e) Backlog vacancies in various groups of posts and whether any special recruitment drive has been planned to fill them.
f) Details of CSR activities for SC & ST community and need for particular thrust for CSR.

5. The Secretary, Ministry of Power responded to the queries raised by the Members and assured to send written replies to the queries, the replies of which were not readily available,

6 The Chairperson then thanked all witnesses for their valuable suggestions for giving free and frank replies on various issues raised by the Committee. They were requested that the points on which further information is desired by the Committee may be sent within 15 days.

The witnesses then withdrew.

The sitting of the Committee then adjourned.

A copy of the verbatim proceedings has been kept on record.